पत्रांक–17/ए 1– 26/2012 - 31(17)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सांवर भारती,
प्रशासी पदाधिकारी

फैक्स/ईमेल सेवा में,

सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक,
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल।

पटना, दिनांक– 15/01/2013

विषय : निश्चेतना विभाग में पदस्थापित चिकित्सक शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्र सं0 1205(17) दिनांक–20.09.12 एवं पत्रांक 1571(17) दिनांक–02.11.12

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट कर कहना है कि निश्चेतना विभाग के चिकित्सक शिक्षक, डा0 राजेन्द्र प्रसाद द्वारा दायर अवमाननावाद संख्या 1620/09 में दिनांक–08.10.12 को कारण–पृच्छा दायर किया गया है कि छः माह में प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। तद्नुसार प्रासंगिक पत्र द्वारा तीन दिनों में सभी कागजात की मांग की गयी थी।

2– निश्चेतना विभाग के चिकित्सक शिक्षकों को सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जानी है।

3– सह प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु सहायक प्राध्यापक पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति अनिवार्य शर्त है। कागजातों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि चि0 शिक्षकों के सेवा इतिहास में सहायक प्राध्यापक पद से सम्बन्धित अधिसूचना एवं प्रभार ग्रहण का जिक्र तो है, किंतु किसी भी चि0 शिक्षक का नियमित सहायक प्राध्यापक सम्बन्धी अधिसूचना की प्रति संलग्न कर नहीं भेजी गई है।

अनुरोध है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत निश्चेतना विभाग के सहायक प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के नाम का उल्लेख करते हुए इनके कार्यकारी अथवा नियमित प्रोन्नति का उल्लेख करते हुए संपुष्टि में तत् संबंधी अभिलेख भी संलग्न की जाए। साथ ही प्रभार से सम्बन्धित प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भी पद प्राप्ति के तीन दिनों में हर हाल में विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, अन्यथा अवमाननावाद में पारित किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी के लिए विभाग के समक्ष दुरूह स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

(सांवर भारती)
प्रशासी पदाधिकारी

ज्ञापांक– 31(17) पटना, दिनांक– 15/01/13

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ।

प्रशासी पदाधिकारी

E/folder Balram sir/ Letter-1